न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल ,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2012
प्रविष्टि दिनांक 18.01.2012

सरकार जरिए तहसीलदार उनियारा

—प्रार्थी

बनाम

माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री रामप्रसाद कुमावत,नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार
(2) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा **दिनांक 30.01.2023**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 139,128मी.138 व 140मी.वाके ग्राम विजयगढ तहसील उनियारा मुताबिक खसरा चतुवर्षीय वर्ष 1996 मे किस्म गै0मु0 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। हाल नकल जमाबंदी सम्वंत 2066—2069 वाके ग्राम विजयगढ में भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 284 रकबा 1.83 है0 कुल किता—2 रकबा 2.23 है0 भूमि माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी की खातेदारी को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगण की गई एंव बहस उभयपक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एव निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा गिरदावरी मौजा विजयगढ तहसील उनियारा सम्वत 1996 में नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है, उक्त नाडी सिवायचक राजकीय भूमि होने के कारण खातेदारी मे दर्ज किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में दर्ज खातेदारी को निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भूमि साबिक खसरा नम्बर 139,128 मी.138 व 140 मी. वाके ग्राम विजयगढ तहसील उनियारा मुताबिक खसरा चतुवर्षीय वर्ष 1996 मे किस्म गै0मु0 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। हाल नकल जमाबंदी सम्वंत 2066–2069 वाके ग्राम विजयगढ में भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 284 रकबा 1.83 है0 कुल किता–2 रकबा 2.23 है0 भूमि माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा की खातेदारी में दर्ज है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी मौजा विजयगढ सम्वत 1996 मे किस्म गै0मु0 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा होने के उपरान्त भी माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा जिला टोंक की खातेदारी मे दर्ज की गई है।राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों को खातेदारी मे दर्ज करना प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा जिला टोंक की खातेदारी मे दर्ज किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार उनियारा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि हाल नकल जमाबंदी सम्वंत 2066–2069 वाके ग्राम विजयगढ में भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 284 रकबा 1.83 है0 कुल किता–2 रकबा 2.23 है0 भूमि माफी मन्दिर श्री गणेश जी वाके उनियारा की खातेदारी को पुनः नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते